



पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8 वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

e-mail : tshq@nic.in

पत्र सं०-टीएससी-25 / 2021(II)

दिनांक- दिसम्बर 27, 2024

आदेश

चयन वर्ष-2022 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2011 (यथासंशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, श्रेष्ठता के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-‘ए’ से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-‘बी’ के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ० प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीबी-चार-15(5)/2022 दिनांक 13-12-2024 के द्वारा स्थापना शाखा को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 04 कार्मिकों को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-‘ए’ से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-‘बी’ पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। अनुमोदनोपरान्त स्थापना शाखा द्वारा विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों को अपने पत्र दिनांक 17-12-2024 के द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

2. चयन वर्ष-2022 में विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष अध्यक्ष, उ० प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति सूची में उल्लिखित निम्नलिखित 04 कार्मिकों को वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तत्कालिक प्रभाव से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

S. No.	PNO	Candidate Name	Father Name	DOB	Present Posting
1	142410268	HARSH KUMAR	CHANDRIKA PRASAD	04-12-1990	KANPUR NAGAR CP
2	142130173	SIDDHARTH SHARMA	LATE. BASU DEO SHARMA	22-08-1988	BASTI
3	152640013	MONIKA	RAM BAKSH	15-12-1988	RAMPUR
4	152020068	SACHIN	SANSAR SINGH	10-08-1989	ALIGARH

3. पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण हुआ है, तो उक्त कार्मिक को उस जनपद/इकाई/शाखा में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा, जिसमें कार्मिक का स्थानान्तरण किया गया है। यदि कोई कार्मिक स्थानान्तरणाधीन है किन्तु उसे नियुक्ति जनपद/इकाई हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो उसे कदापि कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा। उपरोक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उ० प्र० शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति/विभागीय स्थानान्तरण नीति एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 27-क में निहित नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थापना बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. उपरोक्त कार्मिकों के परिवीक्षा काल हेतु उ० प्र० पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2011 (यथासंशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

5. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए से संलग्न प्रारूप-
(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-
का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के विरुद्ध विद्यमान न हों।

6. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक की पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

7. यदि सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में कोई तथ्य असत्य अंकित किया जाता है अथवा छिपाया जाता है तो सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप-(क)




(नवीन अरोरा)

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, जोन-कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आगरा, उ0प्र0।
3. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट-कानपुर, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र-कानपुर, बस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़, उ0प्र0।
6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद-अलीगढ़, बस्ती, रामपुर, उ0प्र0।
8. पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
9. पुलिस अधीक्षक, पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
11. पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

12. आंकिक, तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय/उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
 13. प्रभारी वेबसाइट श्रीमती इन्दूरानी, निःसंवर्गीय सहायक प्रोग्रामर, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने तथा डाटा में अंकन हेतु।
-

स्व-घोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ)
 पुत्र.....निवासी.....
 थाना.....जनपद.....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)
नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि-

- मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।
- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधि कार्यवाही की जाए, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
 नियुक्ति स्थान-
 दिनांक-

यदि सम्बन्धित कर्मों के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जाएगा-

- वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण

- मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई.....में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक.....को आरोप पत्र दिया गया है।
- मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०-..... धारा.....
 थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक.....को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी..... द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग
वर्तमान में.....
 स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
 नियुक्ति स्थान-
 दिनांक-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
 नाम/पदनाम की मुहर

नोट- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप के काट (X) दिया जाए।